पत्र संख्या : 7ब / 4701 यो०ज०सं०–15 / 17 306

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची।
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 28-03-18

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–70–ई गवर्नेस, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड–49S470180796700759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष **2017–18** में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2017–18** में परिशिष्ट–1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग / 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80–सामान्य / 796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना	70–ई–गवर्नेन्स, 07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49S470180796700759	**1.26850**	

आवंटित राशि – ₹ एक लाख छब्बीस हजार आठ सौ पचास मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2017–18** के तृतीय अनुपूरक बजट से प्राप्त राशि सहित संशोधित बजट उपबंध **रू० 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1363 दि० 09.05.2016 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय **विभागीय पत्रांक 1 / पी०एम०सी० / कार्य / 816 / 2013–79 / 17–18 प्र० स्वी०, राँची, दिनांकः 27.03.2018** प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत परिशिष्ट–I के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर०एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2018 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : **आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

अनु० :– यथोक्त

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 306 रॉची, दिनांक :– 28-03-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉंची** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 306 रॉंची, दिनांक :– 28-03-18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर०एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक :– 306 दिनांक :– 28-03-18 परिशिष्ट :– 1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,

लघु शीर्ष –796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष –70–ई॰ गवर्नेंस,

विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59–अन्य व्यय, 49S470180796700759

वित्तीय वर्ष 2017–18 में तृतीय अनुपूरक बजट से प्राप्त राशि सहित संशोधित बजट उपबंध 120.00 लाख (एक करोड बीस लाख) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰ सं॰	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग/राशि		मार्च 2017 तक व्यय	वर्ष 2017–18 में निर्गत आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची (DRNMID007)	राँची	E-Governance के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के कार्यालय कक्ष के लिये Computer set (HP All in One Desktop), Printer एवं UPS के क्रय।	79/17–18 प्र॰ स्वी॰, राँची, दिनांक: 27.03.2018	1.26850	0.00000	0.00000	1.26850	1.26850	**111382**	E-Governance के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के कार्यालय कक्ष के लिये Computer set (HP All in One Desktop), Printer एवं UPS के क्रय का कार्य।
					कुल योग	**0.00000**	**0.00000**	**1.26850**	**1.26850**		
आवंटित राशिः– ₹ एक लाख छब्बीस हजार आठ सौ पचास मात्र।											

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर॰एस॰ तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

(डी॰के॰ तिवारी)
अपर मुख्य सचिव